

- आदेश -

निम्नांकित कर्मचारियों को एच श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मांगी लाल वर्मा मशीनमेन निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें, जयपुर	एच- 526 गाँधीनगर	31.12.2029	1/01
2.	श्री रमेश कुमार थापा पुत्र श्री बम लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	एच-565 गाँधीनगर	31.10.2023	5/01
3.	श्री लाला राम मीणा पु श्री श्रीचंद मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	एच-581 गाँधीनगर	31.12.2026	8/01
4.	श्री पप्पू लाल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एच-662 गाँधीनगर	30.9.2040	32/02
5.	श्री बाबू लाल मीणा पु श्री गोविन्दनारायण मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर	एच-883 गाँधीनगर	31.3.2030	11/01
6.	श्री रामावतार वर्मा पुत्र श्री प्रमुदयाल वर्मा सुरक्षा प्रहरी राजस्थान विधान सभा, जयपुर	एच-888 गाँधीनगर	31.5.2029	19/01
7.	श्री डालचंद मीणा पु श्री भजन लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	एच-915 गाँधीनगर	1.4.2028	22/01

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।

13. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा/कॉलेज शिक्षा/स्थानीय निकाय/समेकित बाल विकास सेवयें विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग।
4. उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. उप सचिव (संस्थापन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गौधीनगर, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर-- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम दर्शावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
11. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव